न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3185/2003/बारां

बिरधीलाल पुत्र जगन्नाथ **– मृतक (जरिये कायममुकाम)**

1/1. मु0 भंवरीबाई बेवा बिरधीलाल जाति किराड निवासी ग्राम शेखपुर तहसील छबडा जिला बारां
1/2. श्रीमती कान्तीबाई पुत्री बिरधीलाल पत्नि मोहनलाल जाति किराड निवासी ग्राम निमोदा तहसील अटरू जिला बांरा
1/3. श्रीमती शकुन्तला पुत्री बिरधीलाल पत्नि नन्दकिशोर जाति किराड निवासी ग्राम सालपुर तहसील अटरू जिला बारां
1/4. श्रीमती अनारबाई पत्नि स्वर्गीय प्रेमनारायण पुत्रवधु बिरधीलाल जाति किराड निवासी शेखपुर तहसील छबडा जिला बारां
1/5. सुरेन्द्र पुत्री प्रेमनारायण
1/6. मीना पुत्री प्रेमनारायण
–नाबालिगान जरिये वली माता मु. अनारबाई बेवा प्रेमनारायण

....**अपीलांट्स/वादीगण**

बनाम

1. पन्नालाल आत्मज जगन्नाथ
2. मथुरालाल पुत्र जगन्नाथ
3. धन्नालाल पुत्र जगन्नाथ
–समस्त जाति किराड निवासी शेखपुर तहसील छबडा जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा।

....**रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री शिवप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री अभिषेक शर्मा, रेखा गोयल, श्रीमती पूनम माथुर, अधिवक्तागण, रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 13–08–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं. 145/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–4–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय छबडा के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 53, 88, 89 के तहत ग्राम शेखपुर तहसील छबडा स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 404 व 405 कुल किता 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि वाद पत्र में उल्लेखित भूमि के संबंध में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी के 1/2 हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। इसके साथ ही यह भी अनुतोष चाहा गया कि वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में उल्लेखित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विभाजन किया जाकर 1/2 आराजी वादी के पृथक खाते में दर्ज की जाकर पृथक लगान राज कायम किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त विभाजन अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के आधार पर किया जाकर पक्षकारान को मौके पर पत्थरगडी की जाकर पृथक–पृथक कब्जा कराया जावें। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 पन्नालाल ने अपना इकबालिया जवाबदावा पेश किया। उक्त जवाबदावा इस आशय के साथ पेश किया कि वाद पत्र में उल्लेखित भूमि पन्नालाल की खातेदारी व कब्जेकाश्त में है। विवादित भूमियों पर प्रतिवादी पन्नालाल का दिनांक 15–10–1955 से पूर्व से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस कारण सरकार द्वारा इस जमीन की खातेदारी का नामान्तरकरण पन्नालाल के नाम तस्दीक किया गया। इसके अतिरिक्त भूमि जगन्नाथ के कब्जेकाश्त में नहीं थी। आगे अंकन किया वादीगण द्वारा दावा दायरी की तिथि को उनका कब्जाकाश्त नहीं है। वाद पत्र व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 विवाद्यक

कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री संबंधी आज्ञा दिनांक 19–02–2002 पारित की। उक्त आज्ञा इस आशय के साथ पारित की गई कि वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम शेखापुर तहसील छबडा की आराजी खसरा संख्या 404 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा संख्या 405 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा कुल 21 बीघा 10 बिस्वा में से अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी का विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 3/4 हिस्सा पृथक से दर्ज हिस्सा किया जाता है। तहसीलदार छबडा वादग्रस्त आराजी का विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया जाता है, पर्चा डिक्री जारी हो। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2002 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2003 द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2002 को अपास्त कर दिया। इसके साथ ही वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 04/2001 को अपास्त किए जाने की आज्ञा पारित की। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2003 से व्यथित होकर वादीगण/अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/वादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय सहमत नहीं था, तो ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपना निर्णय विवाद्यकवार पारित करना चाहिए था। अतः विधायिका की भावना के विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित किए

जाने की स्थिति में त्रुटिपूर्ण है। उनका आगे कहना है कि अपीलीय न्यायालय ने माना कि विवादग्रस्त भूमि माफी साहबदादा अब्दुलरहमान की थी जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 55 के द्वारा पन्नालाल को धारा 15 काश्तकारी के तहत खातेदारी प्रदान की गई, अपीलीय न्यायालय का उक्त कथन विरोधाभासी है। इस कारण खातेदारी व कब्जे के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स का तर्क मान्य नहीं है। उनका यह भी कहना है कि जमाबंदी बंदोबस्त के अनुसार भी कृषक कालम में जगन्नाथ का नाम दर्ज है तथा माफीदार की खुदकाश्त दर्ज नहीं है। अतः माफी भूमि के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय प्रतिवादी द्वारा पेश जवाबदावे के तथ्यों से भिन्न है तथा प्रतिवादी के जवाबदावे में भूमि माफी की होना उद्धरित नहीं किया गया है तथा न तहसीलदार को ऐसी भूमि बाबत किसी पक्षकारान के पक्ष में खातेदारी दी जा सकती है। अतः भूमि के संबंध में तस्दीक नामान्तरकरण की कार्यवाही अवैध है। उनका आगे तर्क है कि वादीगण का वाद जिस आधार पर विधिसम्मत तरीके से डिक्री किया है, ऐसे विधिवत निर्णय को अपास्त किए जाने बाबत प्रथम अपीलीय न्यायालय ने ठोस व सारवान तथ्यों का समावेश अपने निर्णय में नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने वाद पत्र में संलिप्त आराजी को पैतृक होना अवधारित किया है, इस बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत वादीगण ने अपने दावे को सम्पूर्ण साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-04-2003 को अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-02-2002 को यथावत रखने का निवेदन किया। इसके साथ यह भी अनुतोष चाहा गया कि वादीगण के पक्ष में पारित डिक्री की पालना हो चुकी है, जिसे यथावत कायम रखा जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने अपीलार्थीगण की अपील का विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री को विधि के प्रावधानानुसार पारित किए जाने के कारण विधि सम्मत होना कथित किया है। उनका कहना है कि वाद दायरी की तिथि को वादीगण का विवादित आराजियात पर कब्जाकाश्त नहीं होने की दशा में उन्हें वाद लाने की अधिकारिता नहीं थी। इसके अतिरिक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है। आगे बताया कि सम्वत 2012 से 2031 में विवादित रकबे पर मृतक जगन्नाथ जो कि हमारे पिता है का कब्जाकाश्त दर्ज था। लेकिन भूमि की खातेदारी उनके नाम पर दर्ज नहीं थी। यहीं नहीं वर्ष 1955 को जरिये नामान्तरकरण की कार्यवाही आराजी पन्नालाल की खातेदारी में नियमानुसार दर्ज की गई है। इस प्रकार पन्नालाल आराजी का तन्हा खातेदार कृषक है। उनका तर्क है कि वादीगण के वाद पत्र की चरण संख्या 2 में किए गए उद्धरण के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान की पैतृक भूमि का पूर्व में ही विभाजन हो चुका है। इसके अतिरिक्त खातेदार जगन्नाथ के देहान्त के बाद आराजी रेस्पोडेन्ट्स के नाम तन्हा रूप से खातेदारी में थी। अतः ऐसी भूमि के बाबत विभाजन कराने का नियमानुसार वादीगण अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण अपास्त किया जाकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रस्तुत मामले में वादीगण ने अपने वाद में चरण संख्या 3 में निम्नानुसार विवेचित किया हैः–

> **"यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके उक्त विवादित आराजियात खसरा संख्या 404 व 405 की 21 बीघा 10 बिस्वा पर राजस्व रेकार्ड में अपना इन्द्राज**

करवा लिया तथा उक्त आराजियात पर अवैध रूप से अपना कब्जा कर लिया है, जबकि उक्त आराजियात में वादी का भी 1/2 हिस्सा है, क्योंकि विवादित आराजियात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता जगन्नाथ के स्वामित्व की आरायिजात है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक व हिस्सा अन्य दूसरी आराजियात में तय होकर मिल चुका है और इस आराजी में उनका कोई हक व अधिकार शेष नहीं है''।

इसी प्रकार वादीगण ने वाद पत्र की चरण संख्या 4 में निम्नानुसार कथित किया हैः–

''यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के विरूद्ध एक विभाजन का वाद उपखण्ड अधिकारी छबडा के न्यायालय में पेश किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 404 व 405 की रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के विरूद्ध सिर्फ 13 किता की 28 बीघा 10 बिस्वा आराजियात का ही विभाजन करवाया गया है जो कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2000 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है''।

–पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय छबडा के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 53, 88, 89 के तहत ग्राम शेखपुर तहसील छबडा स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 404 व 405 कुल किता 21 बीघा 10 बिस्वा भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। वादीगण द्वारा उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि वाद पत्र में उल्लेखित भूमि के संबंध में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदारी घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी के 1/2 हिस्से से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। इसके साथ ही यह भी अनुतोष चाहा गया कि वाद पत्र की पैरा संख्या 1 में उल्लेखित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच विभाजन किया जाकर 1/2 आराजी वादी के पृथक खाते में दर्ज की जाकर पृथक लगान राज कायम किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड में इसका अमल दरामद किया जावे। उक्त विभाजन अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के आधार पर किया जाकर पक्षकारान को मौके पर पत्थरगडी की जाकर पृथक–पृथक कब्जा कराया जावें। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 पन्नालाल ने अपना इकबालिया जवाबदावा पेश किया। उक्त जवाबदावा इस आशय के

साथ पेश किया कि वाद पत्र में उल्लेखित भूमि पन्नालाल की खातेदारी व कब्जेकाश्त में है। विवादित भूमियों पर प्रतिवादी पन्नालाल का दिनांक 15–10–1955 से पूर्व से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस कारण सरकार द्वारा इस जमीन की खातेदारी का नामान्तरकरण पन्नालाल के नाम तस्दीक किया गया। इसके अतिरिक्त भूमि जगन्नाथ के कब्जेकाश्त में नहीं थी। आगे अंकन किया वादीगण द्वारा दावा दायरी की तिथि को उनका कब्जाकाश्त नहीं है। वाद पत्र व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 6 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को पृथक–पृथक विरचित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री संबंधी आज्ञा दिनांक 19–02–2002 पारित की। उक्त आज्ञा इस आशय के साथ पारित की गई कि वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम शेखपुर तहसील छबडा की आराजी खसरा संख्या 404 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा संख्या 405 रकबा 17 बीघा 17 बिस्वा कुल 21 बीघा 10 बिस्वा में से अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी का विभाजन किया जाकर वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 3/4 हिस्सा पृथक से दर्ज हिस्सा किया जाता है। तहसीलदार छबडा वादग्रस्त आराजी का विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेशित किया जाता है, पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–04–2003 द्वारा स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19–02–2002 को अपास्त कर दिया। इसके साथ ही वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 04/2001 को अपास्त किए जाने की आज्ञा पारित की।

8. रेकार्ड से प्रदर्शित होता है कि सम्वत 2048–2051 जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजियात पर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का अंकन है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 जो कि आपस में सगे भाई है। खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2012 से 2031 के अनुसार विवादित रकबा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता जगन्नाथ की खातेदारी व कब्जेकाश्त होना प्रदर्शित होता है। रेकार्ड से यह भी आभास होता है कि जमाबंदी

सम्वत 2048–2051 में आराजियात को राजस्व कार्मिकों से सांजकर प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि विवादित रकबे के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बराबर के हिस्सेदार है। इसके विपरीत प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे की चरण संख्या 4 में इसी भूमि बाबत पूर्व में विभाजन का वाद दायर होना कथित किया है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा इस बाबत किसी प्रकार का अभिलेख न्यायालय के समक्ष पेश किया। उपलब्ध राजस्व रेकार्ड की रोशनी में प्रथम दृष्टया आराजी पैतृक सम्पत्ति होना अवधारित होता है तथा ऐसी सम्पत्ति बाबत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर हिस्सा तय होना समीचीन है। मामले में प्रतिवादी ने विवादित रकबे पर अपना कब्जाकाश्त सिद्ध होने का बिन्दु अभिनिर्धारत किया है, किन्तु इस बाबत प्रतिवादी ने किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। हमारे द्वारा मामले में उपलब्ध समग्र रेकार्ड का विधि के दृष्टिकोण से परीक्षण करने के बाद हम पाते है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गयी आज्ञा दिनांक 19–02–2002 विधि सम्मत होना पायी जाती है।

9. उक्त विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया तथा साथ ही वादीगण के मूल दावे को भी अपास्त किए जाने की आज्ञा पारित की है। अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजियात को पैतृक होना अभिनिर्धारित किया है, इस बाबत न्यायालय के समक्ष कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। उल्लेख करना समीचीन है कि रेकार्ड की अनुपलब्धता के कारण अपीलीय न्यायालय का विवादित आराजियात को पैतृक घोषित करने का तथ्य निराधार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय ने यह भी विवेचन किया कि सम्वत 2012 से 2031 तक विवादित रकबा जगन्नाथ की खातेदारी में दर्ज नहीं था, वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट को प्रदर्श–2 के द्वारा तन्हा खातेदारी दी गई थी, जिस पर वादीगण ने कोई आपत्ति एक लम्बे समय तक नहीं की। अपीलीय न्यायालय के उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध रेकार्ड रेकार्ड खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2012 से 2031 के कॉलम संख्या में जगन्नाथ पुत्र मुकन्दा जाति किराड साकिन देह का अंकन है। इसके साथ ही यह प्रावधित है कि घोषणा के वाद में समयावधि का बिन्दु समाहित नहीं है। उक्त स्थिति में अपीलीय न्यायालय

का निष्कर्ष विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी परिभाषित किया है कि इसी विवादित रकबे बाबत पक्षकारान के मध्य विभाजन का वाद संस्थित किया गया था। इस कारण वादीगण अब विवादित रकबे को पैतृक भूमि बताकर विभाजन प्राप्त करने से स्टोप्ड है। इस बाबत यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि पूर्व में दायर किए गए विभाजन के वाद का कोई भी दस्तावेज प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया है तथा केवल मात्र मौखिक निवेदन को अशरक्ष स्वीकार करना मूलभूत न्याय की मंशा नहीं है। सारांशतः यह न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष जो कि रेकार्ड की अनुपलब्धता तथा प्रतिवादी के जवाबदावे में किए गए अंकन के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण पाया जाता है। इसके साथ ही भूमि पर प्रतिवादी के कब्जेकाश्त बाबत कोई अभिलेख नहीं होने के कारण आक्षेपित निर्णय व डिक्री नितान्त रूप से त्रुटिपूर्ण व अवैध घोषित होना तय की जाती है। अतः त्रुटिपूर्ण आक्षेपित निर्णय व डिक्री का समर्थन करने का कोई अकाट्य प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। अतः हमारी सुविचारित में राय में हस्तगत द्वितीय अपील में तथ्य व विधि के बिन्दु का सम्मिश्रण होने के कारण इसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30-04-2003 को अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 19-02-2002 को यथावत रखा जाता है। उपखण्ड अधिकारी छबडा को निर्देशित किया जाता है कि वह वाद में विधिक प्रावधानों के तहत आगामी विचारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य